# कायालय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं पदेन सदस्य सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, सीएचसी–रींगस (सीकर)

**सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के वित्तीय वर्ष 2024–25 के आयकर/जी.एस.टी. रिर्टन/टी.डी.एस. रिर्टन/अंतिम लेखे तैयार करना एवं ऑडिट कार्य हेतु**

**(तकनिकी निविदा प्रपत्र)**

**अनुमानित लागत लगभगः– 0.50 लाख रु.**

**फार्म संख्याः– ........................** कार्य सं. 07 **निविदा प्रपत्र शुल्क :– 100/– रु.**

**निविदा प्रपत्र विक्रय प्रारम्भ की तिथि – 15.06.2024**

**निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम दिनांक दोपहर 12.00 बजे तक – 29.06.2024**

**निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी व समय दोपहर 02.00 बजे तक– 29.06.2024**

**निविदा खोलने की दिनांक दोपहर 02.30 बजे – 29.06.2024**

**<u>तकनीकी निविदा चैक–लिस्ट</u>**

| क्र सं | विवरण | संलग्नक हां/नहीं | संलग्न दस्तावेजों की क्रम संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | निविदा शुल्क रुपये 100/– (एक सौ मात्र) का मूल डी0डी0/बैंकर चैक (जो राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी सीएचसी रींगस अथवा **"RMRS CHC Reengus"** के नाम से भुगतान योग्य हो)/नकद रसीद संलग्न करें। | | |
| 2. | बोली प्रतिभूति राशि रुपये 1000/– (एक हजार रु. मात्र) का मूल डी0डी0/बेंकर चैक (जो कि राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, सीएचसी रींगस अथवा **"RMRS CHC Reengus"** के नाम से भुगतान योग्य) हो संलग्न करें। | | |
| 3. | निविदादाता का उक्त कार्यो हेतु किसी राजकीय संस्थान/चिकित्सालय में कार्य करने का 01 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक हैं। अनुभव की प्रति संलग्न करें। | | |
| 4. | निविदादाता फर्म का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आई.आई.सी.ए. के रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की स्व–हस्ताक्षरी प्रतिलिपी संलग्न करें। | | |
| 5. | निविदादाता फर्म के आयकर पेन कार्ड की स्व–हस्ताक्षरी प्रतिलिपी संलग्न करें। | | |
| 6. | निविदादाता फर्म को वस्तु एवं सेवा कर कानून/नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की स्व–हस्ताक्षरी प्रतिलिपी संलग्न करें। | | |
| 7. | निविदादाता को किसी भी विभाग में/से ब्लेक लिस्टेड/डी पेनलाईज नहीं होना चाहिये, फर्म के लेटर पेड पर लिखकर या टाईप कर शपथ पत्र **(अनुलग्नक–क)** में संलग्न करें। | | |
| 8. | निविदादाता को निविदा की संपूर्ण जानकारी एवं शर्तो आदि के प्रत्येक प्रष्ठ स्व–हस्ताक्षरी हो, संलग्न करें। | | |
| 9. | अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हो (यदि कोई हो तो) की स्व–हस्ताक्षरी प्रतिलिपीयां संलग्न करें। | | |

नोटः–चेक लिस्ट के अनुसार सलंग्न किये गये दस्तावेजों की क्रम संख्या संबंधित कॉलम में अंकित किया जाना आवश्यक है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम..................................................

पता..................................................

..........................................................

(डॉ. रामावतार दायमा)
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं
पदेन सदस्य सचिव, आर.एम.आर.एस.
राज. सा. स्वा. केन्द्र, रींगस (सीकर)

# कायालय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं पदेन सदस्य सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, सीएचसी–रींगस (सीकर)

**तकनीकी निविदा–प्रपत्र**

**सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के वित्तीय वर्ष 2024–25 के आयकर/जी.एस.टी. रिर्टन/टी.डी.एस. रिर्टन/अंतिम लेखे तैयार करना एवं ऑडिट कार्य हेतु**

निविदादाता का विस्तृत विवरण

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | निविदादाता फर्म का नाम | | | | | |
| 2. | फर्म का स्थाई पता मय टेलीफान/मोबाईल न0 | | | | | |
| 3. | फर्म के कार्यालय का स्थाई पता मय टेलीफान/मोबाईल न0 | | | | | |
| 4. | फर्म की ईमेल आईडी | | | | | |
| 5. | फर्म के बैंक खाते का विवरण | | | | | |
| | बैंक का नाम | | | | | |
| | शाखा का पता | | | | | |
| | खाता संख्या | | | | | |
| | आईएफएससी कोड | | | | | |
| 6. | निविदा शुल्क राशि का विवरण (राशि 100/– रुपये मात्र) | बैंक शाखा का नाम | डीडी/बेंकर चेक संख्या | दिनांक | नकद रसीद संख्या | राशि |
| | | | | | | |
| 7. | बोली प्रतिभूति राशि का विवरण (राशि 1000/–रुपये मात्र) | बैंक शाखा का नाम | डीडी/बेंकर चेक संख्या | दिनांक | नकद रसीद संख्या | राशि |
| | | | | | | |
| 8. | फर्म के प्रतिनिधि का नाम | | | | | |
| 9. | फर्म के पार्टनरशिप का विवरण (यदि हो तो पार्टनरों का पूर्ण नाम व पता) | | | | | |

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम.............................................

पता.............................................

(डॉ. रामावतार [illegible])
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं
पदेन सदस्य सचिव, आर.एम.आर.एस.
राज. सा. स्वा. केन्द्र, रींगस (सीकर)

# कार्यालय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं पदेन सदस्य सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, सीएचसी–रींगस (सीकर)

## निविदा अनुबंध की शर्ते एवं विनियमन

निविदादाता को निविदा में अपनी दरे प्रस्तुत करने से पूर्व इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ ले। यदि किसी शर्त के बारे में कोई संदेह उत्पन्न हो तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व सचिव आर0एम0आर0एस, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रींगस से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते है।

1. निविदा प्रपत्र, निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रुप से निविदा के साथ निर्धारित निविदा शुल्क का मूल डीडी/बेंकर चेक/नकद रसीद, बोली प्रतिभूति राशि की मूल डीडी/बेंकर चेक/नकद रसीद तथा अन्य वांछित मूल दस्तावेजों की स्व–हस्ताक्षरित प्रतिलिपी के साथ आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर उसे सचिव आर0एम0आर0एस, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रींगस, सीकर को निर्धारित तिथि व समय पर कार्यालय में जमा/प्रस्तुत करनें होगें। निर्धारित समय व तिथि के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा एवं वह स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।
2. यह निविदा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रींगस, सीकर के वित्तीय वर्श 2024–25 के आयकर/जी.एस.टी रिर्टन/टी.डी.एस. रिर्टन/अंतिम लेखे तैयार करना एवं ऑडिट कार्य हेतु अनुमानित लागत राशि रुपये 50000 अक्षरे पच्चास हजार रु. मात्र की वार्षिक दर संविदा/अनुबंध करने हेतु आमंत्रित है।
3. निविदादाता द्वारा निविदा दो प्रारुपों में यथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी निविदा प्रस्तावों में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। देरी से प्राप्त किसी भी निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
4. निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत निविदाओं को निर्धारित तिथी व समय पर उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जावेगा। यदि निर्धारित तिथि व समय पर निविदादाता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होगें तो ऐसी स्थति में विभाग/कार्यालय की गठित उपापन समिती द्वारा उनका इंतजार किये बगेर ही प्राप्त निविदाओं को खोला जावेगा तथा यदि उक्त निर्धारित तिथि को राजकीय/अन्य विशेष परिस्थितिजन्य अवकाश रहता/धोषित होता है तो आगामी कार्य दिवस को निविदा उसी समय पर खोली जावेगी।
   - अ. सर्वप्रथम तकनीकी निविदाएं खोली जावेगी।
   - ब. तकनीकी रुप से अर्हता प्राप्त निविदादाता की ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जावेगा। सिर्फ तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता ही आगामी कार्यवाही में भाग लेने योग्य होगें।
5. निविदादाता, निविदा की समस्त शर्तो एवं निबंधनों को स्वीकार करने के प्रमाणन स्वरुप प्रत्येक प्रष्ठ/वांछित कॉलम/स्थान पर अपने हस्ताक्षर करेगा।
6. निविदादाता अपनी निविदा या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य ऐजेन्सी को सौंप सकेगा और नं ही किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।
7. निविदा प्रारुप https://sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड कर अथवा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
8. वित्तीय निविदा प्रस्तावों में दरें विभागीय विशेष विवरण के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी। अन्य प्रपत्र में प्रस्तुत दरें स्वीकार्य नहीं होगी। सशर्त निविदा को तुरन्त निरस्त करते हुये वित्तीय प्रस्ताव नहीं खोले जावेगें।
9. निविदादाता/फर्म का आई.आई.सी.ए. से पंजीकृत होना आवश्यक हैं। जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न करें। साथ ही निविदाता का रींगस शहर में कार्यालय होना आवश्यक हैं।
10. आयकर/टी.डी.एस. के त्रैमासिक/वार्षिक एवं जी.एस.टी., टी.डी.एस. के मासिक रिर्टन नियमानुसार समय पर दाखिल करने होंगें।
11. आयकर/जी.एस.टी., टी.डी.एस. की कटौती का विवरण समय पर सफल निविदादाता को स्वयं इस कार्यालय से तथा कार्यालय समय में प्राप्त करना होगा।
12. इस कार्य हेतु सफल निविदादाता को कार्यालय में कोई स्थान/साधन उपलब्ध नहीं कराये जावेंगें अर्थात् सफल निविदादाता को अपने कार्य स्थान/साधन से ही कार्य करना होगा।
13. निविदा की समयावधि वित्तीय वर्ष के वार्षिक रिर्टन दाखिल करने तक होगी। उक्त अवधि को कम अथवा बढ़ाया जा सकता हैं।
14. उक्त समयावधि में समस्त रिर्टन दाखिल करने के पश्चात उससे सम्बन्धित कोई विभागीय नोटिस प्राप्त होने पर उसका प्रति उत्तर सफल निविदादाता/फर्म को ही देना होगा।



(डॉ. रामावतार दायमा)
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं
पदेन सदस्य सचिव, आर.एम.आर.एस.
राज. सा. स्वा. केन्द्र, रींगस (सीकर)

15. आयकर कटौती लगभग 40 कर्मचारी एवं 15 सेवाप्रदाता/आरएमआरएस तथा जी.एस.टी., टी.डी.एस. लगभग 05 फर्मो की प्रतिमाह होती हैं। उक्त संख्या में कमी/बढ़ोतरी हो सकती हैं। संख्या में बढ़ोतरी में पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।
16. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर फार्म नं. 16 तथा फार्म नं. 16A भी सफल निविदादाता को दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने होंगे (हार्ड कापी)। फार्म नं. 16 तथा फार्म नं. 16A हेतु GA-55 विवरण कार्यालय से उपलब्ध कराया जावेगा।
17. समस्त कार्य सम्पन्न होने पर रिर्टन दाखिल करने के पासवर्ड इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
18. सफल निविदादाता को वार्षिक आधार पर रिर्टन दाखिल करने के बिल मय रिर्टन दाखिल करने की रसीद सहित बिल प्रस्तुत करने होंगे। जिसका भुगतान नेफ्ट/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में कर दिया जावेगा।
19. निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
20. जो रिकॉर्ड सफल निविदादाता को उपलब्ध कराया जावेगा। उसकी गोपनीयता बनाये रखनी होगी। तथा कार्य समाप्ति पर पूनः इस कार्यालय को लौटाना होगा।
21. निविदादाता का उक्त कार्यो हेतु किसी राजकीय संस्थान/चिकित्सालय में कार्य करने का 01 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक हैं।
22. विलम्ब से रिर्टन या संशोधित रिर्टन प्रस्तुत होने पर विलम्ब/अन्य शुल्क सफल निविदादाता को ही वहन करने होंगे।
23. निविदादाता/प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
24. दरें अंको एवं शब्दों दोनो में उल्लेखित करें। इनमें कोई त्रुटियां, एवं/या उपरीलेखन नहीं होना चाहिये यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो उन्हे स्पष्ट रुप से की अंकित की जानी चाहिये एवं उन पर दिनांक सहित लधु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।
25. तकनिकी निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतिलिपीयां सलंग्न कर प्रस्तुत करें।
    - क. निर्धारित राशि के निविदा शुल्क राशि का मूल डीडी/बैंकर चेक/नकद रसीद संलग्न करें।
    - ख. निर्धारित राशि के निविदा बोली प्रतिभूति राशि का मूल डीडी/बैंकर चेक/नकद रसीद संलग्न करें।
    - ग. निविदादाता की संपूर्ण जानकारी प्रपत्र/अन्य शर्तो/प्रपत्रादि के प्रत्येक प्रष्ठ को स्व हस्तारिक्षत कर संलग्न करें।
    - ध. निविदादाता फर्म का जी0एस0टी0 कानून/नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपी संलग्न करें।
    - ड़ निविदादाता फर्म का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपी संलग्न करें।
    - च. निविदादाता फर्म के स्थाई लेखा संख्या (पेन) की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपी संलग्न करें।
    - छ. निविदादाता फर्म किसी विभाग में/से ब्लेकलिस्टेड नहीं होना चाहिये, फर्म के लेटर पेड पर लिखकर अथवा टाईपकर शपथ पत्र अनुलग्नक–क में संलग्न करें।
    - ज. निविदादाता का उक्त कार्यो हेतु किसी राजकीय संस्थान/चिकित्सालय में कार्य करने का 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपी संलग्न करें।
    - झ. अन्य दस्तावेजों की (यदि कोई हो तो) स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपी संलग्न करें।
26. निविदा किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी है तो साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक साझेदार को अधिकृत किये जाने की स्थिति में पावर ऑफ अर्टोनी प्रस्तुत की जानी आवश्यक है निविदा स्वीकृति के बाद में फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन फर्म के पूर्व के सदस्यों/साझेदारों के इस अनुबंध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार जब तक इस अनुबंध के वहन को नया साझेदार स्वीकार नहीं करे तब तक फर्म में कोई नया साझेदार सम्मिलित नहीं किया जावेगा। निविदादाता कंपनी/सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिध द्वारा ही निविदा भरी जावेगी। प्राधिकृत प्रतिनिधि की अधिकृति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
27. दरें अनुबंध की तिथि से दिनांक 31.03..2025 तक मान्य होगीं। संविदा का समय संविदाकार एवं उपापन समिती की परस्पर सहमति से नियमानुसार बढाया जा सकेगा।



(डॉ. रामवतार दायमा)
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एव
पदेन सदस्य सचिव, आर.एम.आर.एस.
सा. स्वा. केन्द्र, रींगस (सीकर)

28. बोलीयों की विधिमान्यता की कालावधि निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा की निविदाकालावधि सामान्यतया 90 दिवस के अधिक नहीं होगी।

29. निविदा बोली प्रतिभूति राशिः–

क. दर संविदा के मामले में निविदा बोली प्रतिभूति राशि निविदा के लिये प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का दो प्रतिशत होगी।

ख. निविदा बोली प्रतिभूति बैंकर चेक,डी0डी0 अथवा नकद रसीद के विर्निदिष्ट माध्यम से जमा के रुप में दी जा सकेगी। निविदा प्रतिभूति, निविदा की मूल या बढायी गयी विधिमान्यता की कालावधी से 30 दिन तक विधिमान्य रहेगी।

ग. असफल निविदिदाता की निविदा बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल निविदा की अंतिम स्वकृति और करार के हस्ताक्षर करने ओर कार्य संपादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीध्र पश्चात कर दिया जावेगा।

घ. प्रतिभूति राशि पर संस्था द्वारा किसी भी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।

30. निविदा प्रतिभूति का समप्रहणः–

1. निविदादाता से प्राप्त निविदा बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समप्रहृत कर ली जावेगी, अर्थातः–
   - क. जब निविदादाता निविदा के खुलने के पश्चात प्रत्याहृत या उपांतरित करता है।
   - ख. जब निविदादाता प्रदाय आदेश के पश्चात विर्निदिष्ट कालावधी के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।
   - ग. जब निविदादाता विर्निदिष्ट समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार माल/सेवा का प्रदाय का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।
   - घ. जब निविदादाता प्रदाय आदेश दिये जाने के पश्चात विर्निदिष्ट कालावधी के भीतर कार्य संपादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
   - ड. यदि निविदादाता अधिनियम ओर इन नियमों के अध्याय 6 में वर्निदिष्ट निविदा लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
2. सफल निविदादाता की दशा में, निविदा प्रतिभूति की रकम कार्यसंपादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटाई जा सकती है। यदि सफल निविदादाता पूर्ण रकम की कार्य संपादन प्रतिभूति दे देता है।

31. भुगतानः–

1. बिलों का भुगतान सामग्री (मानदंड/विवरणानुसार) प्राप्त होने एवं बजट या अन्य मद में राशि उपलब्धता के आधार पर समय–समय पर नियमानुसार यथा शीध्र चैक या अन्य माध्यम से पारित करवाकर किया जावेगा तथा नियमानुसार आयकर या अन्य कर की कटोती (लागू हो तो) कर भुगतान किया जावेगा। कार्यालय/कोषागार स्तर से किसी भी कारण से देरी से बिल पास होने पर या देरी से भुगतान होने की स्थिति में अनुबंधित फर्म को किसी भी प्रकार के ब्याज आदि दावों का चिकित्सालय प्रशासन भुगतान नहीं करेगा।
2. सामान की आपूर्ति क्रयादेश के अनुसार ही होने पर तकनीकी जांच किये जाने पर एवं स्थापन के पश्चात संतोषजनक पाये जाने पर भुगतान किया जावेगा। अग्रिम भुगतान की शर्त मान्य नहीं होगी। यदि निर्माता कंपनी विदेशी हो ता आयातित फर्म का नाम अंकित करना होगा।

32. बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने होगें। एवं रिर्टन फाईलिंग की रसीद बिलों के साथ प्रस्तुत करनी होगीं।

33. फर्म के गठन आदि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना केता/सेवा प्राप्तकर्ता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जावेगी तथा इस परिवर्तन में संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के प्रथम सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।

34. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपकमों को धौषणा–पत्र प्रस्तुत करने पर कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। केन्द्र एवं राजस्थान सरकार के उपकम प्रतिभूति जमा करवाने से मुक्त होगें।

35. अनुमोदन की प्रतिक्षा करने वाली या रद्द की गयी निविदाओं के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिये प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित नहीं किया जावेगा। तथापि, यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो प्रतिभूति राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।



(डॉ. रामवतार दायमा)
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं
पदेन सदस्य सचिव, आर.एम.आर.एस.
राज. सा. स्वा. केन्द्र रींगस (सीकर)

36. वसूलियां:– परिसमापित नुकसान, विलम्ब से रिर्टन या संशोधित रिर्टन प्रस्तुत होने पर विलम्ब/अन्य शुल्क सफल निविदादाता को वहन करने होगे। ऐसा नहीं करने पर बिल की राशि एवं विभाग/कार्यालय के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जावेगी। यदि वसूली करना संभव नहीं हो ता राजस्थान पी0डी0आर0 एक्ट या पवृर्त किसी अन्य कानून के तहत कार्यवाही की जावेगी।

37. यदि निविदादाता एसी शर्त आरोपित करता है जो इस निविदा पत्र में वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है अथवा उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रुप से कार्यवाही कर निरस्त कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में निविदादाता द्वारा प्रदत्त शर्तो को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

38. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंधन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागघ्यक्ष को प्रेषित किया जावेगा। जो उस विवाद के लिये एकमात्र मध्यस्थ के रुप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा से संबंद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

39. बिल एवं बिल के साथ समस्त संलग्नकों पर अनुबंधित फर्म या प्राधिकृत व्यक्ति के ही हस्ताक्षर मय नाम एवं मोहर अंकित होना आवश्यक है। बिल पर अनुबंधित फर्म या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने पर बिल पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

40. यदि संवेदक कार्य के किसी भाग को निर्धारित समयावधि में संपन्न नहीं करता है तो विभाग/कार्यालय को यह अधिकारी होगा कि वे निविदाकार को कोई सूचना दिये बिना उसकी जौखिम पर आपूर्ति संपन्न करायी जायेगी। निविदाकार इसके परिणामस्वरुप विभाग/कार्यालय द्वारा किये जाने वाले समस्त खर्च एवं विभाग/कार्यालय की हानि की भरपाई के लिये उत्तरदायी होगा। निविदाकार के हर्जे–खर्चे एवं जौखिम पर कार्य कराते समय विभागीय प्राधिकारी नियमानुसार निर्णय लेगा।

41. अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत निविदाकार से जौ भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह में नहीं की जाती है तौ ऐसी वसूली निविदिाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि में से तुरंत कर ली जावेगी तथा प्रतिभूति राशि से अधिक वसूली बनती है तो अथवा वसूली किया जाना संभव नहीं हो तो राजस्थान लोकमॉग अधिनियम (वसूली)–1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि कानून के अधीन कर ली जावेगी।

42. निविदाकार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्त्रोत पर कर के रुप में विभाग/कार्यालय द्वारा आयकर की कटोति की जाकर भुगतान किया जावेगा। निविदादाता के आवेदन पर विभाग/कार्यालय द्वारा आयकर कटौति का प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

43. विवाद की स्थिति में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रींगस, सीकर का निर्णय अंतिम होगा व निविदादाता को मान्य होगा।

44. किसी भी कानूनी कार्यवाही करने से पूर्व यदि जरुरत पडे. तो दोनो पक्ष अपने प्रकरण को एकमात्र मध्यस्थ (विभागाध्यक्ष) के समक्ष रखेगें। तत्पश्चात समस्त कानूनी कार्यवाहीयां यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पड़े तो संबधित क्षेत्रीय न्यायालय में ही की जानी होगी। अन्य स्थान पर नहीं होगी अर्थात समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र रींगस, सीकर स्थित न्यायालय होंगे।

45. बोलयों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन ओर उपांतरण– निविदा प्रस्तुत करने वाला निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्यक रुप से हस्ताक्षरित/लिखित नोटिस भेजकर उसकी निविदा का प्रत्याहरण/प्रतिस्थापन या उपांतरण कर सकेगा। निविदा के तत्संबंधी प्रतिस्थापन या उपांतरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये।

नोटिस:–

- क. निविदा दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जाये ओर इसके अतिरिक्त लिफाफे पर स्पष्ट रुप से "प्रत्याहरण," "प्रतिस्थापन" या "उपांतरण" अंकित हो, और
- ख. बोलीयों को प्राप्त करने के लिये नियत अंतिम समय और तिथि से पूर्व बोलीयों को प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाये या सीधे ही निविदा के बक्से में डाल दिया जाये।
  1. बोलीयां, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है, निविदादाता को बिना खोले लोटा दी जायेगी।
  2. किसी निविदा का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपांतरण बोलीयों की प्राप्ति के लिये नियत अंतिम समय व तिथि के पश्चात नहीं किया जायेगा।



(डॉ. रामावतार दायमा)
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं
पदेन सदस्य सचिव, आर.एम.आर.एस.
राज. सा. स्वा. केन्द्र रींगस (सीकर)

46. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधारः– निविदा मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रुप से प्रतिउत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगीः–

क. इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि निविदा मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दू की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है ऐसे मामले में उत्कथित मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।

ख. यदि योग के धटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होगें और योग में सुधार किया जायेगा।

ग. यदि शब्दों व अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटी से संबंधित नहीं हो, ऐसे मामले में खण्ड (क) एव (ख) के अध्यधीन रहते हुये अंको में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

47. परिमाण में परिवर्तन का अधिकारः–

1. संविदा के अधिनिर्णय के समय निविदा दस्तावेजों में मूलतः विर्निदिष्ट माल/सेवाओं के परिमाण में बढोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढोतरी निविदा दस्तावेजों में विर्निदिष्ट परिमाण से अधिक नहीं होगी। यह निविदा ओर निविदा दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों ओर शर्तों में किसी परिवर्तमन के बिना होगी।
2. यदि उपापन संस्था परिस्थतियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषय वस्तु उपाप्त नहीं करती है या निविदा दस्तावेजों में विर्निदिष्ट परिमाण से कम प्राप्त करती है तो निविदादाता निविदा दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
3. अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिये पुर्नआदेश यदि यह निविदा दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तो पर दिये जा सकेगें यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रुप से बढायी जा सकेगी। पुर्नआदेश की सीमाएं निम्नलिखित होगीं।
   क. संक्रमों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत और
   ख. मूल संविदा के माल/सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

48. कार्य संपादन प्रतिभूतिः–सफल निविदादाता से कार्य संपादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत होगी।

49. कार्यसंपादन प्रतिभूति का समपहरण–प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रुप से निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा।

1. जब संविदा के किन्ही निबंधनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।
2. जब निविदादाता संपूर्ण प्रदाय/सेवा संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
3. कार्यसंपादन प्रतिभूति को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में केता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

50. करार का निष्पादनः–

1. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति पत्र जारी करने की दिनांक से 7 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारुप में एक करार पत्र स्वयं के खर्चे पर नियमानुसार राशि 500/–रुपये मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना आवश्यक होगा। साथ ही करारपत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जावेगा तथा विभाग/कार्यालय को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पसुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जायेगी।
2. यदि निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकृत की जा चुकी है, विर्निदिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्यसंपादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल निविदादाता के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो निविदा दस्तावेजों में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की निविदा लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।



(डॉ. रामावतार दायमा)
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं
पदेन सदस्य सचिव, आर.एम.आर.एस.
राज. सा. स्वा. केन्द्र रींगस (सीकर)

3. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
4. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस् के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष का उल्लेख व उक्त दस्तावेज की एक अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
5. एकमात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता टेलिफोन न0 उल्लेखित करें।
6. कंपनी के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की एक अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

51. सत्यनिष्ठा संहिता:–उपापन प्रकिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति,
1. उपापन प्रकिया में अनुचित लाभ के लिये या अन्यथा उपापन प्रकिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, ईनाम या दान या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
2. सूचना का ऐसा दुर्व्यपरेशन या लोप नहीं करेगा जौ किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिये या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिये गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
3. उपापन प्रकिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिये किसी भी दुरभिसंधि, निविदा में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
4. उपापन संस्था और निविदादाता के बीच सांझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रकिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नही करेगा।
5. उपापन प्रकिया को प्रभावित करने के लिये किसी भी पक्षकार को या उसकी संपति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से क्षति या नुकसान पहुंचाने ऐसा करने के लिये धमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगा।
6. उपापन प्रकिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा परीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
7. हित का विरोध यदि कोई हो तो प्रकट करेगा।
8. पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी भी विवर्जन को प्रकट करेगा।

52. हित का विरोध:–
1. किसी उपापन संस्थान या उसके कार्मिकों और निविदादाताओं के लिये हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हो जौ उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रुप से प्रभावित कर सकता हो।
2. कोई निविदादाता किसी उपापन प्रकिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां शामिल है किन्तु इन तक सीमित नहीं है। यदि:–
   क. उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
   ख. वे उनमें से किसी से कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते है या प्राप्त की है।
   ग. उनका उस निविदा के परियोजनों के लिये एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
   घ. उनका प्रत्यक्ष रुप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की निविदा के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की निविदा पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
   ड. कोई निविदादाता एक ही निविदा प्रकिया में एक से अधिक निविदा में भाग लेता है तथापि यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक निविदा में शामिल होने से सीमित नहीं करता है जो निविदादाता रुप में अन्यथा भाग नहीं लेता है या
   च. निविदादाता या उसके सहबद्ध किन्ही व्यक्तियों ने निविदा प्रकिया के उपापन की विषय वस्तु के डिजायन या तकनीकि विर्निदेशों को तैयार करने में सलाहकार के रुप में भाग लिया है। सभी निविदादाता अर्हता कसोटी और निविदा प्ररुपों में यह विवरण उपलब्ध करायेगें कि निविदादाता उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्थान जिसे उपापन की विषय वस्तु के लिये डिजायन विर्निदेश और अन्य दस्तावेज तैयार किये है, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में न तो संबद्व और ना ही संबद्व रहा है या संविदा के लिये परियोजना प्रबंधक के रुप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

53. निविदादाता के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग:–अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना किसी निविदादाता या यथा स्थिति भावी निविदादाता के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबंध के भंग



(डॉ. रामावतार दायमा)
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एव
पदेन सदस्य सचिव, आर.एम.आर.एस.
राज. सा. स्वा. केन्द्र, रींगस (सीकर)

की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उपधारा (3) और धारा 46 के उपबंधो के अनुसार समुचित कार्यवाही कर सकेगें।

54. अपील का प्रारुपः–
1. धारा 38 की उपधारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारुप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।
2. प्रत्येक अपील उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
3. प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

55. अपील फाईल करने के लिए फीसः–
1. प्रथम अपील के लिये फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिये दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
2. फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के डी0डी0 या बैंकर चेक के रुप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

56. अपील के निपटारे की प्रकियाः–
1. प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारी फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील शपथ–पत्र और दस्तावेजों यदि कोई हो की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
2. सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारी।
   क. उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा और
   ख. मामले से संबंधित दस्तावेजों सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
3. पक्षकारों की सुनवाई मामले से संबंधित दस्तावेजों सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायें।
4. उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।
5. विवाद की स्थिति में प्रथम अपील अधिकारी **"खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खण्डेला एवं द्वितीय अपील अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर"** होगें।

57. किसी भी शर्त में संशोधन या निविदा को संपूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से रद्द करने का अधिकारी उपापन समिति का होगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकारी उपापन समिती का होगा। उपापन समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

58. उपरौक्त शर्तो के अतिरिक्त यदि अन्य शर्तें जो सम्मिलित होने से छूट गयी है। उन्हें GF&AR/RTPP Act-2012/RTPP Rules-2013 के प्रावधानों को सम्मिलित समझा जावेगा यथा अन्य शर्तो पर विचार नहीं किया जावेगा।

59. बिड प्रपत्र कार्यालय समय में कार्यालय में शुल्क नकद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है अथवा https://sppp.rajasthan.gov.in साईट से डाउनलोड करके शुल्क **"Rajasthan Medicare Relief Society, CHC Reengus"** के नाम से डी0डी0 बनाकर बिड प्रपत्र के साथ जमा करवाना होगा तथा डाक द्वारा निविदा भेजने पर निविदा शुल्क का ब्यौरा डाक के लिफाफे पर लिखना होगा एवं तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

(डॉ. रामावतार दायमा)
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं
पदेन सदस्य सचिव, आर.एम.आर.एस.
राज. सा. स्वा. केन्द्र, रींगस (सीकर)

# कार्यालय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं पदेन सदस्य सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, सीएचसी–रींगस (सीकर)

अनुलग्नक "क"

**शपथ–पत्र**

(फर्म के लेटर पेड पर लिख/टाईपकर प्रस्तुत करें)

मेसर्स.......................................................................................................................................(आपूर्तिकर्ता का नाम एवं पता)

शपथपूर्वक घोषणा करता हूं/करती हूं कि:–

1. निविदा सूचना कमांक............................दिनांक...............................में मेरे/हमारे द्वारा दी गयी समस्त जानकारियां/दस्तावेज पूर्णतया सही है तथा गलत पाये जाने पर इसकी जिम्मेवारी मेरी/हमारी रहेगी।
2. मेरे/हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी कम्पनी/फर्म/एजेन्सी केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/उपकम द्वारा Black Listed/Depanalised etc नहीं की गयी है।
3. यह की उक्त निविदा के समस्त नियम एवं शर्ते स्वीकार होने के रुप में हस्ताक्षर कर रहा हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

(डॉ. रामावतार दायमा)
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एव
पदेन सदस्य सचिव, आर.एम.आर.एस.
राज. सा. स्वा केन्द्र, रींगस (सीकर)

कार्यालय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं पदेन सदस्य सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रींगस (सीकर)
Phone No :- 01575-224058
Email:- chc_reengus@yahoo.in
क्रमांक : खुली निविदा/एम.आर.एस./2024-25/119
दिनांक :- 15/6/2024

## -:: निविदा सूचना ::-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रींगस हेतु माह 07/2024 से माह 02/2025 तक (मानव संसाधन हेतु) व 07/2024 से माह 03/2025 तक (सामग्री व अन्य सेवाओं हेतु) के लिए निम्न सामान/सेवाएं क्रय किये जाने बाबत्/वाहन पार्किंग ठेका हेतु पंजीकृत विक्रेताओ/निविदादातो/अधिकृत डीलर/पंजीकृत संवेदकों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है:-

| कार्य संख्या | नाम कार्य | अनुमानित लागत राशि (रू.) (वार्षिक) | निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू.) | अमानत राशि (रू.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अस्पताल के सम्पूर्ण परिसर व डिलीवरी पॉईन्ट का सफाई कार्य मय सामग्री | 600000 | 400 | 12000 |
| 2 | मानव संसाधन (प्रयोगशाला सहायक/परिचर, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य मार्गदर्शक सह कम्प्युटर ऑपरेटर/IHMS कम्प्युटर ऑपरेटर मैन विथ मशीन/MNJY कम्प्युटर ऑपरेटर मैन विथ मशीन व लेब क्लीनर/वार्ड ब्वाय/ओटी टेक्नीशियन इत्यादी) | 980000 | 500 | 19600 |
| 3 | जेनेरिक औषधि व सर्जिकल सामग्री आदि | 900000 | 500 | 18000 |
| 4 | लेबोरेट्री रियजेन्ट, केमिकल्स एवं एक्स-रे फिल्म व अन्य सामान | 900000 | 500 | 18000 |
| 5 | प्रिंटिंग (छपाई) एवं डाट मैट्रिक्स प्रिंटर हेतु पेपर रिम | 500000 | 400 | 10000 |
| 6 | बेड़शीट व अन्य कपड़े धुलाई मय सामग्री निविदा | 150000 | 200 | 3000 |
| 7 | आयकर/जी.एस.टी. रिर्टन/टी.डी.एस. रिर्टन/एवं अंतिम लेखे तैयार करना एवं ऑडिट कार्य | 50000 | 100 | 1000 |
| 8 | स्टेशनरी सामग्री | 50000 | 100 | 1000 |
| 9 | इलेक्ट्रीशियन कार्य/प्लम्बरिंग कार्य | 60000 | 100 | 1200 |
| 10 | वाहन पार्किंग ठेका | | 200 | 5000 |
| 11 | ऑक्सीजन सिलेण्डर की रिफलिंग कार्य | 80000 | 100 | 1600 |

1. निविदा प्रपत्र दिनांक 15.06.2024 से 29.06.2024 तक प्रातः 11.00 बजे तक विक्रय एवं उसी दिवस को दोपहर 12.00 बजे तक जमा किये जायेंगें। व प्राप्त निविदाएं उसी दिवस को 01.30 बजे खोली जायेगी।
2. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना किसी कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
3. उपरोक्त कार्य एवं आईटम हेतु समस्त नियम एवं निविदा की शर्तें निविदा पत्र में अंकित है जो कि किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय समय में देखी जा सकती है।
4. उक्त समस्त कार्यो के लिये सेवा प्रदाता एंजेंसी का पंजिकृत होना आवश्यक है, जिसका पंजिकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
5. धरोहर राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट **"Rajasthan Medicare Relief Society, CHC Reengus"** के नाम से देय होगा।
6. उक्त निविदा राजस्थान स्टेट पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पर देखी जा सकती है।
7. किसी भी वाद हेतु स्थानीय न्यायालय कार्यक्षेत्र होगा।
8. बिड प्रपत्र कार्यालय समय में कार्यालय में शुल्क नकद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है अथवा **https://sppp.rajasthan.gov.in** साईट से डाउनलोड करके निर्धारित शुल्क **"Rajasthan Medicare Relief Society, CHC Reengus"** के नाम से डी0डी0 बनाकर बिड प्रपत्र के साथ जमा करवाना होगा तथा डाक द्वारा निविदा भेजने पर निविदा शुल्क का ब्यौरा डाक के लिफाफे पर लिखना होगा एवं तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. उक्त समस्त निविदाओ में जी.एफ.एण्ड.ए.आर व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होगें।
10. अनुबंध की अवधि फरवरी 2025 (मानव संसाधन हेतु) तथा मार्च, 2025 (सामग्री व अन्य सेवाओं हेतु) तक होगी जिसे 3 माह तक बढ़ाया जा सकेगा। अन्य जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

(डॉ. रामावतार दायमा)
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं
पदेन सदस्य सचिव, आर.एम.आर.एस.
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रींगस

क्रमांक : खुली निविदा/एम.आर.एस./2024-25/119
दिनांक :- 15/6/2024

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, रींगस एवं पदेन अध्यक्ष आर.एम.आर.एस., सीएचसी रींगस।
3. श्रीमान खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्डेला एवं पदेन उपाध्यक्ष आर.एम.आर.एस., सीएचसी रींगस।
4. कार्यालय नगरपालिका रींगस के नोटिस बोर्ड ।
5. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया।
6. कार्यालय प्रति/फाईल प्रति।

(डॉ. रामावतार दायमा)
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं
पदेन सदस्य सचिव, आर.एम.आर.एस.
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रींगस